भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 85

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024

सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

कौशल पारिस्थितिकी तंत्र और कुशल श्रमिकों की मांग को बढ़ाना

85. श्रीमती भारती पारधी: श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश पर्याप्त रोजगार अवसर पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले पेशेवरों में आवश्यक कौशल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है और रोजगार की संभावना कम हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या रोजगार के अवसरों और नौकरी चाहने वालों के कौशल के बीच की खाई को पाटने, बेरोजगारी दरों को कम करने और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कार्यबल का कौशल विकास आवश्यक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त मुद्दों केस माधान के लिए सरकारी सहायता, निजी क्षेत्र केस हयोग, बढ़ी हुई जागरूकता, बेहतर प्रशिक्षण गुणवत्ता और परिणामों के नियमित मूल्यांकन को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और अधिक समृद्ध भविष्य के लिए कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) वर्ष 2014 में, यह अनुमान लगाया गया था कि कार्यबल में लगभग हर 4 में से 3 भारतीय अकुशल थे और प्रत्येक वर्ष कार्यबल में शामिल होने वाले 1.5 करोड़ लोग अकुशल थे। कार्यबल में कौशल की भारी कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) को कार्यान्वित किया गया है। सिम का उद्देश्य युवाओं को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रदान करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ-साथ वे बड़ी संख्या में आने वाले अवसरों के लिए तैयार हैं। सिम का उद्देश्य हमारे युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्रदान करना है।

दरअसल, नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस 2023-24) अनुमानों के अनुसार सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 6.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है।

सिम के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के जरिए देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

तीसरे पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया है कि जेएसएस स्कीम के 77.05% लाभार्थी शिक्षुओं ने व्यावसायिक बदलाव किए हैं। आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला (वैतनिक + स्व), जिनमें से 6.7% स्व-रोजगार में थे। इस स्कीम के पहले तीन संस्करणों में पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 है, जिन्हें वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया गया था। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

(घ) समय-समय पर कौशल अंतराल अध्ययन किए जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और कौशल अंतराल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस तरह के अध्ययन उद्योग की जरूरतों के अनुसार कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से सरकार के अन्तःक्षेप का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा, जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) तैयार करने का काम सौंपा गया है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जिले में कौशल की संबंधित मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करते हैं और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मानचित्रण करते हैं। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने गए कौशल अंतराल को पाटने के लिए डिज़ाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ङ) और (च) कौशल इकोसिस्टम को बढ़ाने और कार्यबल को उनके समृद्ध भविष्य के लिए सशक्त बनाने हेतु, एमएसडीई ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियमन और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक विनियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की गई है।

(ii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें तथा उन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के समकक्ष लाएं और उद्योग से स्वीकार्यता प्राप्त करें।

(iii) एमएसडीई ने भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए सामान्य लागत मानदंड स्थापित किए हैं। कौशल विकास स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले लगभग 20 अन्य मंत्रालय/विभाग हैं।

(iv) एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार मांगों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।

(v) प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य आईटीआई छात्रों को औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(vi) एनएपीएस के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ जुड़ाव बढ़ाने को बढ़ावा दिया जाता है।

(vii) भारत सरकार ने कुशल जनशक्ति की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशल विकास में 7 देशों (अर्थात ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, कतर, सिंगापुर और यूएई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(viii) डीजीटी ने राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर संस्थानों के लिए उद्योग संबंध सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्वेस्ट अलायंस), अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ix) एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग-मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं।

(x) उद्योग 4.0 की आवश्यकता को संबोधित करते हुए भावी जॉब रोलों, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के अंतर्गत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भावी जॉब रोलों की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

(xi) स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल को कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में स्थापित किया गया है।

*****